न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

बइजलास – रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 314/2015

प्रार्थी :–

1. पूर्णाराम पुत्र चन्दाराम जाति–मेघवाल निवासी–जौचिणा के कायम मुकाम –
   1. बाजूड़ी पत्नि पूर्णाराम, उम्र 50 साल निवासी–जौचिणा तहसील–जायल

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. हीरालाल पुत्र गोपाराम जाति–मेघवाल, निवासी–जौचिणा
   तहसील–जायल जिला–नागौर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल
3. पूर्णाराम के कायम मुकाम –
   1. राजूराम पुत्र पूर्णाराम
   2. ओमप्रकाश पुत्र पूर्णाराम
   3. सीता पुत्री पूर्णाराम
   4. मुन्नी पुत्री पूर्णाराम जातियान–मेघवाल, निवासी–जौचिणा तहसील–जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. अधिवक्ता श्री जीयाराम गोदारा प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका, अप्रार्थी 1 की ओर से।
3. अधिवक्ता श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अप्रार्थी संख्या 3 के का.मु. की
4. अप्रार्थी संख्या 2 उपस्थित।

– : : आदेश : : –

प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 506 रकबा 7.16 बीघा मौजा–जौचिणा तहसील–जायल की सरहद में आया हुआ है। इसी प्रकार खेत खसरा नं. 507 रकबा 15 बीघा अप्रार्थी संख्या 1 का आया हुआ, जिसके पूर्व काकड़ माठ के चिपता ग्राम कठौती से तीतरी कटाणी रास्ता चलता है। इस रास्ते से फंटकर अप्रार्थी नं. 1 के खेत की दक्षिणी सींव के अन्दर से 12 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के खेत में जाने का है जो पीढ़ियों से चलता

09/02/2024

सहायक कलक्टर
एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)

आ रहा है। उक्त रास्ते अलावा अन्य कोई प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए नजदीकी रास्ता है। अप्रार्थी इस खेत बाबत् विवाद करते रहते है। इसलिए प्रार्थी को अपने खेत खसरा नं.0 506 में प्रवेश हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा कृषि कार्य के लिए आने जाने तथा आवश्यक कृषि संसाधन यथा–ट्रेक्टर ट्रोली आदि लाने व ले जाने के लिए रास्ते की आत्यान्तकि आवश्यकता होने पर प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया जिसे माफिक नजरी नक्शानुसार 12 फीट चौड़ाई का रास्ता स्वीकार किया जावे। उक्त रास्ते के एवज में नियमानुसार प्रतिकर राशि डीएलसी दर के अनुसार प्रार्थी अप्रार्थी को भुगतान करने में सहमत है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को जरिये सम्मन तलब किया गया, तथा अप्रार्थी संख्या 2 को हस्तगत प्रकरण में बिन्दूवार मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई, जिसकी पालना में मौका रिपोर्ट दिनांक 07.09.2020 को प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है। प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते प्रार्थी पूर्णाराम की मृत्यु हो जाने पर प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. पेश किया। जिसपर वकील अप्रार्थी की अनाप्ति जाहिर करने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा प्रार्थी पूर्णाराम के फौत होने पर कायम मुकाम के तौर पर प्रार्थीयां बाजूड़ी तथा अप्रार्थी संख्या 3/1 से 3/4 क्रमशः राजूराम, ओमप्रकाश, सीता व मुन्नी को पक्षकार बनाया गया। अप्रार्थी संख्या 3/1 से 3/4 की ओर से अधिवक्ता श्री एस.एस.कालवी ने वकालातनामा पेश किया तथा जवाब नहीं देना जाहिर किया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका ने वकालातनामा व जवाब प्रार्थना पत्र/आपत्तिया पेश की। जिसकी की प्रति वकील प्रार्थीयां को दिलाई गई।

प्रार्थना पत्र संबंध में तहसीलदार जायल से दिनांक 07.09.2020 के प्राप्त हुई मौका रिपोर्ट में खसरा नं. 506 में आवागमन हेतु खसरा नं. 507 की दक्षिणी सींव के पास–2 12 फीट चौड़ाई रास्ते की मांग की है। मौके पर रास्ता चालू होने के निशानात् मौजूद नहीं है। खसरा नं. 507 के पूर्वी सीमा पर सरहद कठौती में कदीमी रास्ता चालू है किन्तु नक्शा लठ्ठा में कटाणी दर्ज नहीं है। प्रार्थी द्वारा मांगा गया रास्ता आगे कटाणी रास्ता सरकारी रास्ते से मिलान नहीं हो रहा है इस खेत खसरा नं. 506 के दक्षिण की तरफ कटाणी रास्ता खसरा नं. 509 चलता है जिसकी सीधी दूरी 160 मीटर है। तथा खसरा नं. 508 एवं 509 आता है। इसी प्रकार खातेदार पूर्णाराम का निधन हो चुका है जिसकी विरासत बरजी पत्नि पूर्णाराम, राजूराम,

09/02/2024

सहायक कलक्टर
(एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)

ओमप्रकाश, मुन्नी, सीता के नामान्तरण हो चुका है। खसरा नं. 507 के दक्षिण सींव की लम्बाई 91 मीटर होना अपनी रिपोर्ट में तहसीलदार जायल ने अंकित किया है।

अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र/आपत्तियों में बताया कि खेत खसरा नं. 507 व 506 में आने जाने का रास्ता खसरा नं. 512 व 513 में से होकर था जो ट्यूबवेल होने व खेत के दीवार होने स अवरूद्ध हो या। पिछले 10 वर्षो से कोई रास्ता नहीं रहा है। पूर्णाराम पिछले 10 वर्षो से कुम्भाराम के खेत में आकर काश्त करता रहा है, तथा मेरा खेत ग्राम कठौती की सरहद पर है जिसके कठौती से तीतरी मार्ग लगता है। कुम्भाराम ने ट्यूबवेल करवाली है तथा पूर्णाराम के खेत में काश्त करना चाहता था लेकिन वारिसों व पूर्णाराम के मना करने पर रास्ता रूकने की स्थिति में आ गया। पूर्णाराम ने एक किलोमीटर का फेर लगाकर रास्ता मेरे खेत खसरा नं. 507 से होकर मांगा है। जिसमें यह शर्त तय हुई थी कि खेत खसरा नं. 556 व 559 व 560 में काश्त करने के लिए कटाणी रास्ता नहीं कि 556 में से 1 बीघा मिले जिसमें से आधा बीघा गोरधन जाट के खेत खसरा नं. 557 को देकर रास्ता खसरा नं. 556, 559 व 560 के लिए लिया जा सके। खसरा नं. 560 पूर्णाराम के भतीजे सुरजकरण का है। यदि पूर्णाराम यह शर्त मान लेता तो उसके खेसरा नं. 506 व 556 के लिए रास्ता मिल जाता तथा उनके भतीजे के खेत खसरा नं. 560 को भी रास्ता मिल जाता तथा हम तीनों की समस्या का समाधान हो जाता। वकील अप्रार्थी ने आगे जवाब में बताया कि खसरा नं. 557 जो गोरधन जाट का जिस पर में 1996 से लगातार काश्त कर रहा हूँ अतः मेरे खेत में 22 साल से रास्ता है जब यह खेत खसरा नं. 557 की काश्त छूट जायेगी तो रास्ता स्वतः ही बंद हो जायेगा। प्रार्थी पूर्णाराम ने खसरा नं. 556 मुझ अप्रार्थी को देने व मेरा खेत खसरा नं. 507 लेने का समझौता भी किया लेकिन सुरजकरण व पूर्णाराम के बंटवारा सही व बराबर नहीं होने के कारण विवाद है, तथा खेत खसरा नं. 556 में से आधा हिस्सा सुरजकरण का व आधा हिस्सा पूर्णाराम का है। वकील अप्रार्थी ने जवाब में बताया कि पूर्णाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके दो लड़के विदेश में रहते है, जिनके आने पर ही उक्त विवाद सुलझेगा।

चूंकि हस्तगत प्रकरण अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधीनियम 1955 के तहत है, जिसमें पक्षकारान् को प्रकरण के विचाराधीन की सूचना तथा तहसीलदार जायल से मौका रिपोर्ट अपेक्षित होती है। प्रार्थी पूर्णाराम के फौत होने पर उतराधिकारी के तौर पत्नि बाजूड़ी को प्रार्थी पक्ष तथा पुत्र व पुत्रियों को अप्रार्थी 3/1 से 3/4 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है तथा वकील श्री एस.एस. कालवी ने इनकी ओर से वकालातनामा पेश किया है। प्रकरण हाजा में तहसीलदार

09/02/2024

सहायक कलक्टर
एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)

जायल मौका रिपोर्ट भी दिनांक 28.12.2017 को प्राप्त होकर सामिल मिसल है। उक्त प्रार्थना पत्र संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceeding) का होने तथा वर्ष 2015 से विचाराधीन होने से हस्तगत प्रकरण में बहस अन्तिम के लिए तारीख पेशी नियत की गई।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 506 रकबा 7.16 बीघा मौजा–जौचिणा तहसील–जायल की सरहद में आया हुआ है। इसी प्रकार खेत खसरा नं. 507 रकबा 15 बीघा अप्रार्थी संख्या 1 का आया हुआ, जिसके पूर्व काकड़ माठ के चिपता ग्राम कठौती से तीतरी कटाणी रास्ता चलता है। इस रास्ते से फंटकर अप्रार्थी नं. 1 के खेत की दक्षिणी सींव के अन्दर से 12 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के खेत में जाने का है जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है। उक्त रास्ते अलावा अन्य कोई प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए नजदीकी रास्ता है। अप्रार्थी इस खेत बाबत् विवाद करते रहते है। इसलिए प्रार्थी को अपने खेत खसरा नं.0 506 में प्रवेश हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा कृषि कार्य के लिए आने जाने तथा आवश्यक कृषि संसाधन यथा–ट्रेक्टर ट्रोली आदि लाने व ले जाने के लिए रास्ते की आत्यान्तकि आवश्यकता होने पर प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया जिसे माफिक नजरी नक्शानुसार 12 फीट चौड़ाई का रास्ता स्वीकार किया जावे। प्रार्थी को अपने खेत खसरा नं.0 506 में प्रवेश हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा कृषि कार्य के लिए आने जाने तथा आवश्यक कृषि संसाधन यथा–ट्रेक्टर ट्रोली आदि लाने व ले जाने के लिए रास्ते की आत्यान्तकि आवश्यकता होने पर प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया है। प्रार्थीया को 12 फीट चौड़ाई का रास्ता स्वीकार किया जावे। उक्त रास्ते के एवज में नियमानुसार प्रतिकर राशि डीएलसी दर के अनुसार प्रार्थी अप्रार्थी को भुगतान करने में सहमत है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी द्वारा दी गई दलीलों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि खेत खसरा नं. 507 व 506 में आने जाने का रास्ता खसरा नं. 512 व 513 में से होकर था जो ट्यूबवेल होने व खेत के दीवार होने स अवरूद्ध हो या। पिछले 10 वर्षो से कोई रास्ता नहीं रहा है। पूर्णाराम पिछले 10 वर्षो से कुम्भाराम के खेत में आकर काश्त करता रहा है, तथा मेरा खेत ग्राम कठौती की सरहद पर है जिसके कठौती से तीतरी मार्ग लगता है। कुम्भाराम ने ट्यूबवेल करवाली है तथा पूर्णाराम के खेत में काश्त करना चाहता था लेकिन वारिसों व पूर्णाराम के मना करने पर रास्ता रूकने की स्थिति में आ गया। पूर्णाराम ने एक किलोमीटर का फेर लगाकर रास्ता मेरे खेत खसरा नं. 507 से होकर मांगा है।

09/02/2021

सहायक कलक्टर
(एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)

जिसमें यह शर्त तय हुई थी कि खेत खसरा नं. 556 व 559 व 560 में काश्त करने के लिए कटाणी रास्ता नहीं कि 556 में से 1 बीघा मिले जिसमें से आधा बीघा गोरधन जाट के खेत खसरा नं. 557 को देकर रास्ता खसरा नं. 556, 559 व 560 के लिए लिया जा सके। खसरा नं. 560 पूर्णाराम के भतीजे सुरजकरण का है। यदि पूर्णाराम यह शर्त मान लेता तो उसके खेसरा नं. 506 व 556 के लिए रास्ता मिल जाता तथा उनके भतीजे के खेत खसरा नं. 560 को भी रास्ता मिल जाता तथा हम तीनों की समस्या का समाधान हो जाता। वकील अप्रार्थी ने आगे जवाब में बताया कि खसरा नं. 557 जो गोरधन जाट का जिस पर में 1996 से लगातार काश्त कर रहा हूँ अतः मेरे खेत में 22 साल से रास्ता है जब यह खेत खसरा नं. 557 की काश्त छूट जायेगी तो रास्ता स्वतः ही बंद हो जायेगा। प्रार्थी पूर्णाराम ने खसरा नं. 556 मुझ अप्रार्थी को देने व मेरा खेत खसरा नं. 507 लेने का समझौता भी किया लेकिन सुरजकरण व पूर्णाराम के बंटवारा सही व बराबर नहीं होने के कारण विवाद है, तथा खेत खसरा नं. 556 में से आधा हिस्सा सुरजकरण का व आधा हिस्सा पूर्णाराम का है। वकील अप्रार्थी ने जवाब में बताया कि पूर्णाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके दो लड़के विदेश में रहते है, जिनके आने पर ही उक्त विवाद सुलझेगा। वकील अप्रार्थी ने अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीण नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क आर.टी.एक्ट खारिज किया जावे।

पत्रावली में प्रार्थना पत्र, जवाब आपत्ति एवं तहसीलदार जायल की मौका रिपोर्ट दिनांक 07.09.2020 का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ने स्वय के खातेदारी खेत खसरा नं. 506 के लिए अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 507 के में से रास्ता दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अनुसार खातेदार कृषक को निकटतम दूरी के कटाणी रास्ते से वैकल्पिक रास्ता का अभाव सिद्ध होने की स्थिति में खातेदार कृषक की आत्यान्तिक आवश्यकता सिद्ध होने पर ही रास्ता दिये का प्रावधान है। उक्त प्रार्थना पत्र में तहसीलदार जायल की मौका रिपोर्ट में बताया है कि प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 507 में से ही खेत की दक्षिणी सींव पास से 12 फीट चौड़ाई का रास्ता चालू होने के निशानात् मौजूद नहीं होना अंकित किया है साथ ही खसरा नं. 507 की पूर्वी सीमा पर सरहद कठौती में कदीमी रास्ता चालू बताया है पर नक्शा लठ्ठा में दर्ज नहीं होना बताया है। इसी प्रकार प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता आगे किसी भी कटाणी अथवा सरकारी रास्ते से मिलान नहीं होने का अंकन तहसीलदार जायल की मौका रिपोर्ट में है।

09/02/2021

सहायक कलक्टर
(एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)

जिसका खण्डन न तो वकील प्रार्थी ने दौराने बहस व जवाब प्रार्थना पत्र में किया गया है। साथ ही खसरा नं. 506 के मूल खातेदार पूर्णाराम की मृत्यु हो जाने पर विधिक उतराधिकारी का नामान्तरकरण भी दर्ज किया जा चुका है जिससे प्रत्येक नवीन खातेदार का 1/5–1/5 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251क की मंशानुरूप मुख्यतः बिन्दू वैकल्पिक रास्ता का अभाव व रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता के लिए सम्पुष्ट नहीं होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः हम प्रार्थी द्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क तहत रास्ता स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रार्थना ग्राम जौचिणा के खेत खसरा नं. 507 में से 12 फीट चौड़ाई का गलत तथ्यों एवं तकनीकी आधार पर त्रुटीपूर्ण होने, वैकल्पिक रास्ता का अभाव एवं आत्यान्तिक आवश्यकता सिद्ध नहीं कर पाने के कारण खारिज योग्य समझते है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी द्वारा ग्राम जौचिणा तहसील जायल के खसरा नं. 507 में से 12 चौड़ाई का रास्ता हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तकनीकी आधार पर त्रुटीपूर्ण होने तथा वैकल्पिक रास्ते का अभाव एवं आत्यान्तिक आवश्यकता सिद्ध नहीं कर पाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 09/02/2021 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

09/02/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल